<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.) झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा**, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>विविध आप. जमानत आवेदन पत्र संख्या- 36/2026</u>
(सी.आई.एस.नं.-36/2026)

सुमित पंकज उर्फ मांग्या उर्फ मांगीलाल पुत्र रमेशचन्द पंकज, उम्र 23 वर्ष, निवासी रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास कस्बा खानपुर, पुलिस थाना खानपुर, जिला-झालावाड़ (राज.) **– प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य ... **– अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
सैशन प्रकरण सं.-76/2025, सरकार बनाम शानू सुमन वगैरा
प्र.सू.रि. संख्या- 179/2025 पुलिस थाना खानपुर
धारा 103(1), 115(2), 191(2), 191(3), 190, 61(2) बी.एन.एस.
एवं धारा 3-2(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट

उपस्थितिः-

1- श्री प्रवीण पोसवाल, चीफ लींगल एवं डिफेन्स काउन्सेल, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ठ लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांकः 11.03.2026**

प्रार्थी/अभियुक्त सुमित पंकज उर्फ मांग्या उर्फ मांगीलाल की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत् प्रस्तुत किया, जिसकी नकल विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलायी जाकर, पत्रावली शाखा से तलब की गयी।

2- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.07.2025 को परिवादी इतलेश उर्फ चिन्टू पुत्र सियाराम, निवासी पोटूखेड़ी ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह पोटूखेड़ी का रहने वाला है। वह व उसके ताउ तोलाराम का लड़का नरेन्द्र उर्फ दीपू दोनों गांव पोटूखेड़ी से दिनांक 07.07.2025 को समय शाम करीब 8.00 बजे खानपुर आये थे, तब रास्ते में नरेन्द्र उर्फ दीपू के फोन पर किसी का फोन आया। दीपू की क्या बात हुई, उसे ध्यान नहीं है, बात करते-करते वाजिद भाई के ढाबे अटरू रोड़ पर पहुंच गये, तो नरेन्द्र उर्फ दीपू ने फोन वाजिद भाई को देकर उस व्यक्ति की बात कराई, फिर बात होने के बाद वह तथा उसका भाई नरेन्द्र उर्फ दीपू ढाबे से रवाना होकर अटरू रोड़ मूर्ति चौराहे पर उनकी मोटर साईकिल से आये, जिनमें एक व्यक्ति रोहित था, जिससे उसके भाई

नरेन्द्र उर्फ दीपू की बोलचाल होकर धक्का-मुक्की हुई, तो वह छुड़ाने लगा। इतने में रोहित के साथ आए व्यक्ति भी मारने लगे। इतने में रोहित ने अपने दोस्तों को बुला लिया, तो दो मोटर साईकिल पर 7-8 व्यक्ति अन्य आये, जिनमें एक मनीष राठौर खानपुर का था, जिसके हाथ में लट्ठ था, जो लट्ठ से मारने लगा, तो उसने लट्ठ पकड़ लिया। इतने में मोटर साइकिल पर आए हुए व्यक्तियों में से किसी ने उसके भाई नरेन्द्र उर्फ दीपू के छाती में चाकू घोंप दिया, नरेन्द्र उर्फ दीपू बेहोश होकर गिर गया। रोहित, मनीष व उनके साथ आए व्यक्ति मोटर साइकिलों से भाग गए। फिर वह तथा उसका दोस्त अरविन्द नरेन्द्र उर्फ दीपू को खानपुर अस्पताल ले गये, जहां डॉक्टर ने नरेन्द्र उर्फ दीपू को मृत घोषित कर दिया। नरेन्द्र उर्फ दीपू की हत्या रोहित, मनीष राठौर व उनके साथ आये व्यक्तियों ने चाकू मार कर की है, इत्यादि। उक्त तथ्यों की लिखित तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना खानपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-179/2025, अन्तर्गत धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190 बी.एन.एस. एवं धारा 3-2(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3-2(v) एस.सी./एस.टी.एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त सुमित पंकज उर्फ मांग्या उर्फ मांगीलाल को दिनांक 09.07.2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से बाद पुलिस अभिरक्षा दिनांक 14.07.2025 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा अन्य सहअभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है, जिनमें से शानू सुमन, मनीष मीणा पुत्र धनराज उर्फ धन्नालाल, अंकित कुमार सुमन, रामकल्याण सुमन, मनीष मीणा पुत्र छीतरलाल व कुलदीप रेगर व मनीष राठौर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेश से जमानत पर आजाद है तथा प्रार्थी/अभियुक्त सुमित पंकज उर्फ मांग्या उर्फ मांगीलाल न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है।

3- बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसका उक्त अपराधों से किसी प्रकार कोई संबंध नहीं है, उसे पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में झूंठा लिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त घटनाक्रम से कोई सरोकार नहीं है, ना ही प्रार्थी द्वारा पीड़ित के साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित की गई है। प्रार्थी द्वारा मृतक के साथ मारपीट किये जाने का कोई कथन

अंकित नहीं है। उक्त प्रकरण में चाकू से वार करने का आरोप सुमित पंकज के उपर लगाया गया है। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहअभियुक्तगण शानु सुमन, मनीष मीणा पुत्र धनराज, अंकित कुमार सुमन, रामकल्याण सुमन, मनीष मीणा पुत्र छीतरलाल व कुलदीप रेगर एवं मनीष राठौर की जमानत स्वीकार कर ली गयी है, जिनसे भिन्न मामला प्रार्थी का होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त विगत 08 माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त विद्यार्थी है, जिसके अधिक समय तक अभिरक्षा में रहने से उसका केरियर बर्बाद हो जायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त खानपुर जिला झालावाड़ का स्थायी निवासी है, जिसके कहीं भागने व फरार होने का अंदेशा नहीं है, ना ही इतना शातिर आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो कि अन्य गवाहों को डरा व धमका सके। प्रार्थी/अभियुक्त आदेश अनुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत करने को तैयार है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

5- इसके विपरीत विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का घोर विरोध करते हुये, आरोपित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षकारान के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7- पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हालांकि प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध है, जो निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**मुकदमा नंबर व धारा**	**नतीजा**	**निर्णय**
1-	266/2023 धारा 341, 323, 325, 308, 504 भा.दं.सं.	222/31.10.2023	पेंडिग कोर्ट

8- इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध एक प्रकरण गम्भीर अपराध से संबंधित दर्ज होना प्रकट हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के ताउ के लड़के नरेन्द्र उर्फ दीपू की हत्या कारित करने का आपराधिक षड़यन्त्र रचकर उसे जान से मारने की नियत से उसके साथ लकड़ियों से मारपीट कर तथा छाती में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कारित करने संबंधी धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2) बी.एन.एस. के अधीन दण्डनीय अपराधों के आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध में

मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय के स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किये जा चुके है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो जाने मात्र से प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना मामले के समस्त तथ्यों प्रकृति व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9- फलतः प्रार्थी/अभियुक्त सुमित पंकज उर्फ मांग्या उर्फ मांगीलाल पुत्र रमेशचन्द पंकज, उम्र 23 वर्ष, निवासी रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास कस्बा खानपुर, पुलिस थाना खानपुर, जिला-झालावाड़ (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना खानपुर की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-179/2025 पर दर्ज सैशन प्रकरण सं.-76/2025, सरकार बनाम शानू सुमन वगैरा में एतदद्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.)
झालावाड़ (राज.)

10- आदेश आज दिनांक **11.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.)
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

KAMLESH TAILOR

Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by KAMLESH TAILOR
Date: 2026.03.13 15:12:58 +0530

नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।